| तारीख हुकम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 2/9/2020 | |

पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पक्षकारान असालतन उपस्थित। वादीया ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–22 नियम–4 सीपीसी के साथ संशोधित शीर्षक प्रस्तुत कर मृतक प्रतिवादी नं. 1 मुन्नी के स्थान पर उसके वारिसान 1/1 से 1/7 को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ती पेश नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर उसके वारिसान 1/1 से 1/7 को रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित शीर्षक स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 88/1 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाडाअब्दुल्लापुरा तहसील टोंक के रजिस्टर्ड विकय पत्र क अनुसार 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी है तथा 1/3 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/7 को घोषित किया जावे। राजीनामा के अनुसार उक्त भूमि का आपसी रजामंदी से तकासमा कर लिया है, जिसके अनुसार 2/3 हिस्से की भूमि जो सडक के पास है, वह वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त में रहेगी। शेष 1/3 हिस्से की तकासमा के अनुसार प्रतिवादीगण जो मुन्नी के वारिसान है की खातेदारी व कब्जेकाश्त में रहेगी। खसरा नम्बर 88/1 की पूर्व की तरफ 12 फीट चौडा रास्ता जो सडक से चाले होकर प्रतिवादीगण 1/1 से 1/7 के 1/3 हिस्से की उक्तानुसार भूमि है उसमें आने–जाने, हल, बैल, कुली, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण की भूमि का पृथक पृथक खातेदारी में अमल किया जावे तथा प्रतिवादी के खेत तक जाने का 12 फीट चौडे रास्ते को भी शीट में प्रदर्शित किया जाये।

राजीनामा उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। सभी पक्षकारों ने राजीनामा में लिखित तथ्यों पर अपनी सहमति प्रस्तुत की है अतः तद्नुसार राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश–9 नियम–13 सीपीसी स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11.02.2017 को जारी एक पक्षीय डिकी को खारिज किया जाता है। मुताबिक राजीमाना नवीन डिकी जारी की जाती है। मूल वाद प्रकरण संख्या–291/2016 उनवानी मुन्ना बनाम मुन्नी को शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(signature)

(… …)

IAS

उपखण्ड अधिकारी

टोंक (राज.)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक (राज0)

## डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित

प्रकरण सं0–162/2017(291/2016)

**उनवान**

मुन्ना वल्द नसीर खां जाति मुसलमान निवासी बाडाअब्दुल्लापुरा तहसील व जिला टोंक

–वादी

**बनाम**

~~1. मुन्नी दुख्तर नसीर खां जाति मुसलमान निवासी बाडाअब्दुल्लापुरा तहसील व जिला टोंक~~

1/1. भनदो बी उर्फ शहजादी पुत्री मुन्नी पत्नि रफीक अहमद पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आजमशाह की मस्जिद, कालीपल्टन,टोंक

1/2. निसार अहमद पुत्र मुन्नी पत्नि रफीक अहमद पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आजमशाह की मस्जिद, कालीपल्टन,टोंक

1/3. मोहम्मद रईस पुत्र मुन्नी पत्नि रफीक अहमद पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आजमशाह की मस्जिद, कालीपल्टन,टोंक

1/4. मोहम्मद शकील पुत्र मुन्नी पत्नि रफीक अहमद पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आजमशाह की मस्जिद, कालीपल्टन,टोंक

1/5. मोहम्मद अनीस पुत्र मुन्नी पत्नि रफीक अहमद पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आजमशाह की मस्जिद, कालीपल्टन,टोंक

1/6. फरीद अहमद पुत्र मुन्नी पत्नि रफीक अहमद पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आजमशाह की मस्जिद, कालीपल्टन,टोंक

1/7. फरजाना पुत्री मुन्नी पत्नि रफीक अहमद पत्नि शमशुद्दीन जाति मुसलमान निवासी आजमशाह की मस्जिद, कालीपल्टन,टोंक

2. तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री सीताराम विजय – वकील वादी
श्री शहाब अहमद– वकील प्रतिवादीगण

## दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं तकासमा

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील पक्षकारान मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

**मुताबिक राजीनामा पक्षकारान वादी का वाद बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व तकासमा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आ.ख.न. 88/1 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम बाडाअब्दुल्लापुरा, तहसील टोंक मे वादी को 2/3 हिस्से की भूमि जो सडक के पास है एवं प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** खसरा नम्बर 88/1 की पूर्व की तरफ 12 फीट चौडा रास्ता जो सडक से चाले होकर प्रतिवादीगण 1/1 से 1/7 के 1/3 हिस्से की उक्तानुसार भूमि है उसमें आने–जाने, हल, बैल, कुली, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण की भूमि का पृथक पृथक खातेदारी में अमल किया जावे तथा प्रतिवादी के खेत तक जाने का 12 फीट चौडे रास्ते को भी शीट में प्रदर्शित किया जाये। **तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे पृथक पृथक अमल दरामद किया जावे।**

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.09.2020 को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालत नामा<br>स्टाम्प तलब गवाह<br>महन्तनामा वकील<br>खर्चा गवाहन<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | शून्य | शून्य | स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालत नामा<br>महन्तनामा वकील<br>खर्चा गवाहन<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मिजान | | | मिजान | | |

उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)